बिहार बजट 2020-21: मुख्य विशेषताएं

- वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने 25 फरवरी, 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिहार के लिए बजट पेश किया।
- सुशील मोदी ने वित्त मंत्री के रूप में बिहार का बजट 11 बार पेश किया है।

राज्य के लिए बजट का संवैधानिक प्रावधान और बजट में प्रयुक्त प्रमुख शब्द

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, एक राज्य का राज्यपाल, राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने का कारण होगा, वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण।
- संविधान में "वार्षिक वित्तीय विवरण" के रूप में नामित वित्तीय वर्ष के लिए रसीद और व्यय का यह अनुमानित विवरण आमतौर पर "बजट" के रूप में जाना जाता है।

राजस्व - प्राप्ति और व्यय

राजस्व प्राप्ति:

- प्राप्तियां जो सरकार द्वारा वसूल नहीं की जा सकती हैं।
- इसमें करों और गैर-कर स्रोतों जैसे ब्याज, निवेशों पर लाभांश के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित आय शामिल है।

राजस्व व्यय:

- भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया व्यय।
- इसमें सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज, राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान और केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज भुगतान आदि के लिए किए गए व्यय शामिल हैं।

पूंजी - रसीद और व्यय

पूंजी प्राप्ति:

- वे रसीदें जो देयता उत्पन्न करती हैं या सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं।

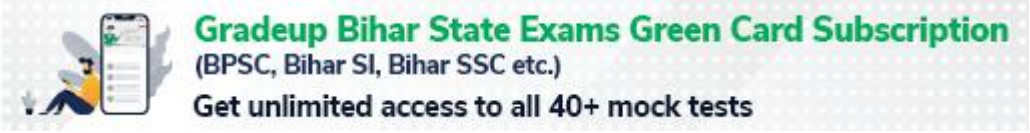

- इसमें भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से उधार शामिल हैं।
- इसमें विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्राप्त ऋण और संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान भी शामिल है।

पूंजीगत व्यय:

- सरकार द्वारा किया गया व्यय जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति बनती है या संघ सरकार की वित्तीय देनदारियों में कमी आती है।
- इसमें भूमि, उपकरण, अवसंरचना, शेयरों में व्यय की खरीद पर व्यय शामिल है।
- इसमें केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बंधक भी शामिल हैं।

प्रत्यक्ष कर

- वह कर व्यक्ति और कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं।
- इसमें आयकर और निगम कर शामिल हैं।

अप्रत्यक्ष कर

- वह कर जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है।
- इसमें सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क जैसे कर शामिल हैं।

राजकोषीय नीति

- राजकोषीय नीति वह साधन है जिसके द्वारा सरकार देश की अर्थव्यवस्था की निगरानी और उसे प्रभावित करने के लिए अपने व्यय स्तर और कर दरों को समायोजित करती है।

राजस्व घाटा

- यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार का अतिरिक्त व्यय है|

राजकोषीय घाटा

- यह सरकार और उसकी कुल प्राप्तियों के कुल खर्च के बीच का अंतर है, उधार को छोड़कर।

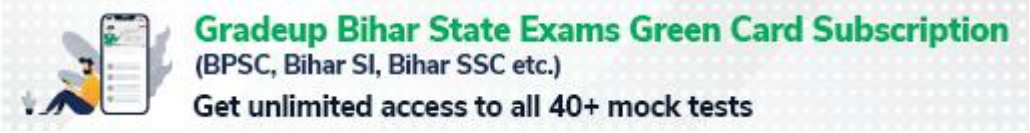

प्राथमिक घाटा

- राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान = प्राथमिक घाटा

गैर-कर राजस्व

- करों के अलावा, उत्पन्न सरकारी राजस्व।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

- एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश के भीतर किए गए सभी तैयार माल और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य

बजट का अवलोकन

- 2020-21 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान कीमतों पर) 6, 85,797 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- यह 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान से 11.1% अधिक है। 2019-20 के लिए जीएसडीपी (मौजूदा कीमतों पर) 2018-19 में 19.6% अधिक होने का अनुमान है।
- 2020-21 के लिए कुल व्यय 2, 11,761 करोड़ रुपये, 2019-20 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2.8% की कमी का अनुमान है।
- 2019-20 में, बजट अनुमानों से कुल व्यय 8.6% (17,259 करोड़ रुपये) बढ़ने का अनुमान है।
- 2020-21 के लिए कुल प्राप्तियां (उधार को छोड़कर) 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में 1, 84,352 करोड़ रुपये, 21.5% की वृद्धि का अनुमान है।
- 2019-20 में, कुल प्राप्तियां (उधार को छोड़कर) अनुमानित अनुमानित बजट 25,415 करोड़ रुपये से कम होने का अनुमान है (बजट अनुमान का 14.3%)।
- 2020-21 के लिए राजस्व अधिशेष 19,173 करोड़ रुपये या सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.8% लक्षित है।
- राजकोषीय घाटा 20,374 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 2.97%) लक्षित है।

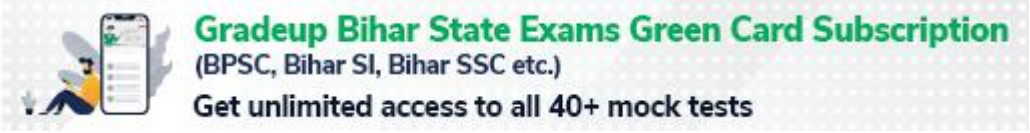

- 2019-20 में, राजस्व अनुमान (जीएसडीपी का 3.8%) के मुकाबले बिहार में राजस्व घाटा (जीएसडीपी का 3%) का निरीक्षण करने का अनुमान है।
- संशोधित चरण में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2.8% के बजट से बढ़कर 9.5% हो जाने का अनुमान है।

स्थानीय निकायों को अनुदान

- राज्य सरकार स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करती है।
  - 2020-21 में, बिहार ने स्थानीय निकायों के लिए स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के रूप में 15,211 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, 2019-20 के संशोधित अनुमानों पर 8.3% की कमी।
  - इस व्यय हेड में 7,434 करोड़ रुपये का वित्त आयोग अनुदान शामिल है।

उच्चतम आवंटन

- 2020-21 में, आवंटन में सर्वाधिक वृद्धि जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास (8%), पुलिस (6%), और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (6%) क्षेत्रों में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से अधिक देखी गई।
- आवंटन में महत्वपूर्ण कमी ऊर्जा (48%) और परिवहन (19%) क्षेत्रों में देखी गई।
- प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद
  - 2018-19 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (स्थिर कीमतों पर) 2017-18 में इसी आंकड़े की तुलना में 33,629 रुपये अधिक थी।
  - 2017-18 में, बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सभी राज्यों में सबसे कम थी।
- बेरोजगारी: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (जुलाई 2017-जून 2018) के अनुसार, बिहार में बेरोजगारी दर 7.2% थी, जो अखिल भारतीय स्तर (6.1%) से अधिक है।

बजट 2020-2021 में नई योजना / नीति

- **हरित बजट**:

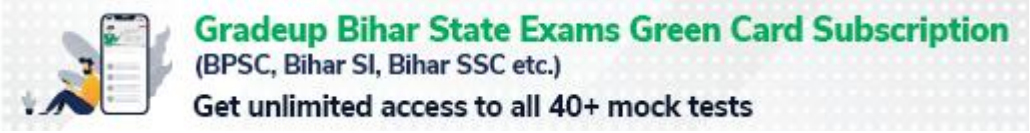

- राज्य सरकार एक हरित बजट पेश करेगी जो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यक्रमों पर राज्य के खर्च का संकेत देगा।
- जल जीवन हरियाली योजना को हरित बजट के तहत प्रमुख योजनाओं में से एक माना जाता है।
- 2020-21 में, 3,051 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे : (i) जल निकायों का कायाकल्प, (ii) वर्षा जल संचयन, (iii) सौर ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, (iv) ड्रिप सिंचाई, और (v) वृक्षारोपण।

- **विभिन्न अस्पतालों का उन्नयन:**
  - 12 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में उन्नत किया जाएगा।
  - इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना को एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में उन्नत किया जाएगा, जिसमें बेड की संख्या 1,032 से 2,732 की जाएगी।
  - पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) को 2025 तक विश्व स्तरीय अस्पताल में उन्नत किया जाएगा।

- **कृषि और ग्रामीण विकास**
  - कृषि यंत्र बैंक पंचायत स्तर पर स्थापित किए जाएंगे।
  - 2021 में, 21,000 एकड़ भूमि में जैविक प्रमाणीकरण किया जाएगा।
  - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 6,162 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा।

- **प्रति व्यक्ति जीएसडीपी** : 2017-18 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (मौजूदा कीमतों पर) 42,242 रुपये थी। यह 2016-17 के आंकड़े से 12.7% अधिक है (37,478रुपये)

मुख्य विभागवार वार्षिक योजना परिणाम (2020-21)

क्रमांक	विभाग का नाम	व्यय (करोड़ में)	प्रतिशत (%)
1	शिक्षा विभाग	2126.24	20.20

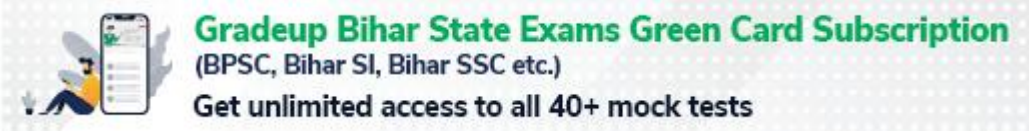

2	ग्रामीण विकास विभाग	16014.88	15.21
3	ग्रामीण कार्य विभाग	961900.00	9.14
4	समाज कल्याण विभाग	799763.00	7.60
5	स्वास्थ्य विभाग	561000.00	5.33
6	सड़क निर्माण विभाग	558100.00	5.30
7	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी	535100.00	5.08
8	पंचायती राज विभाग	243452.00	2.31
9	कृषि विभाग	239508.00	2.28
10	एससी और एसटी कल्याण विभाग	170005.00	1.62
11	विज्ञान और तकनीक	94000.00	0.89
12	अन्य विभाग	234560.59	22.29

शिक्षा क्षेत्र में व्यय

- राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को सबसे अधिक 35,191.05 करोड़ रुपये या प्रतिशत 20.20 का आवंटन किया है।

<u>स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च का प्रावधान:</u>

- 11 नए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और एक नए डेंटल कॉलेज के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। इसमें छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सीवान, बक्सर, भोजपुर और जमुई में स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
- नालंदा में एक दंत महाविद्यालय भी शुरू किया जाएगा।
- सरकार नि: शुल्क दवा वितरण योजना के तहत कैंसर और मधुमेह की दवाओं के साथ रोगियों को 310 प्रकार की दवाएं मुफ्त प्रदान करेगी।
- साथ ही, सर्जिकल आइटम भी मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे।

बजट में कृषि के लिए आवंटन:

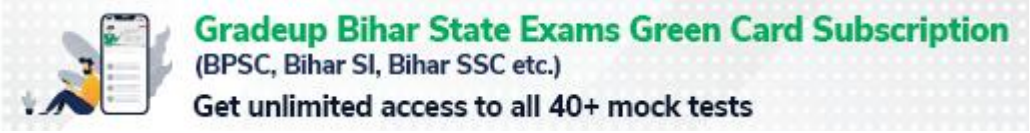

- वर्ष 2018-19 में 350 रुपये प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर डीजल अनुदान बढ़ाकर 500 रुपये प्रति एकड़ किया गया है।
- साथ ही, वर्ष 2019-20 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, 6,000 का अनुदान बढ़ाकर 8,000 प्रति किसान किया जाएगा।
- यह क्षेत्र बिहार की लगभग 70 प्रतिशत आबादी से भी जुड़ता है।

पटना मेट्रो के लिए राशि:

- पटना मेट्रो रेल परियोजना के दो मार्गों पर निर्माण का प्रस्ताव शहरी विकास और आवास विभाग ने केंद्र को भेजा है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में इस परियोजना के लिए 17887.56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सभी घरों में बिजली:

- बिहार राज्य सरकार ने कहा कि सरकार ने निर्धारित सीमा से पहले राज्य के सभी घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है।
- राज्य के 39,000 गांवों में सभी घरों में बिजली पहुंचाने का काम दिसंबर 2018 की समयसीमा से पहले किया गया था और बिहार ऐसा करने वाला आठवां राज्य बन गया है।

gradeup

अन्य राज्यों के साथ प्रमुख क्षेत्रों पर राज्यों के व्यय की तुलना

शिक्षा:

- बिहार ने 2020-21 में शिक्षा के लिए अपने कुल बजट का 19.3% आवंटित किया है। यह राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए आवंटित औसत व्यय (15.9%) से अधिक है (2019-20 बीई का उपयोग करके)।

स्वास्थ्य:

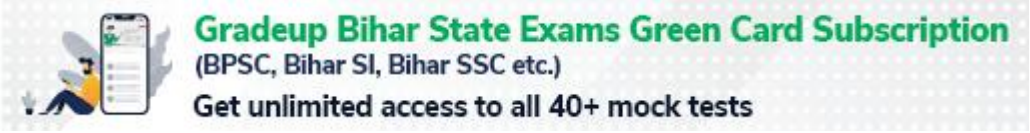

- बिहार ने अपने कुल बजट का 5.2% स्वास्थ्य पर आवंटित किया है, जो कि राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के औसत आवंटन (5.3%) की तुलना में मामूली कम है।

कृषि:

- राज्य ने अपने कुल व्यय का 3.5% कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए आवंटित किया है जो राज्यों द्वारा आवंटित औसत (7.1%) की तुलना में काफी कम है।

ग्रामीण विकास:

- बिहार ने ग्रामीण विकास पर अपने व्यय का 12.8% आवंटित किया है।
- यह राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए औसत आवंटन (6.2%) से काफी अधिक है।

जल आपूर्ति और स्वच्छता:

- बिहार ने जलापूर्ति और स्वच्छता पर अपने व्यय का 4% आवंटित किया है।
- यह राज्यों द्वारा जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए औसत आवंटन (2.4%) से काफी अधिक है।

आवास:

- बिहार ने आवास पर अपने कुल खर्च का 4.6% आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा आवास के लिए औसत आवंटन (1.4%) से अधिक है।

सड़कें और पुल:

- बिहार ने सड़कों और पुलों पर अपने कुल व्यय का 3.7% आवंटित किया है, जो कि 29 राज्यों (4.2%) के औसत व्यय से कम है।

पुलिस:

- बिहार ने पुलिस पर अपने कुल व्यय का 4.9% आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा पुलिस के लिए औसत आवंटन (4.1%) से अधिक है।

2020-21 में व्यय

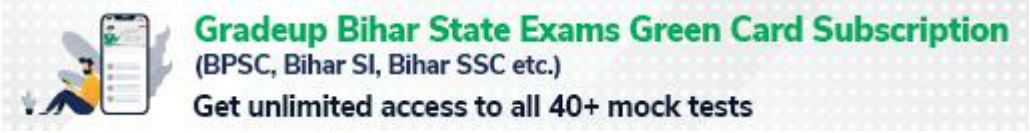

- 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय 47,010 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो कि 2019-20 के संशोधित अनुमानों पर 1.9% की कमी है।
- पूंजी व्यय में राज्य की संपत्ति और देनदारियों को प्रभावित करने वाला व्यय शामिल होता है, जैसे:
    a. पूंजी परिव्यय, अर्थात् व्यय जिसे परिसंपत्तियों (जैसे पुलों और अस्पतालों) के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, और
    b. राज्य सरकार द्वारा ऋणों का पुनर्भुगतान और अनुदान।
- 2020-21 के लिए बिहार का पूंजी परिव्यय 38,745 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2019-20 के संशोधित अनुमानों से 0.2% अधिक है।
- वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजी परिव्यय के लिए संशोधित अनुमान 5.7% अधिक है।
- 2020-21 के लिए राजस्व व्यय 1, 64,751 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो 2019-20 के संशोधित अनुमानों पर 3% की कमी है।
- इस व्यय में वेतन, ब्याज और सब्सिडी का भुगतान शामिल है।

2020-21 में प्राप्तियां:

- 2020-21 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति 1, 83,924 करोड़ रुपये, 2019-20 के संशोधित अनुमानों पर 21.5% की वृद्धि का अनुमान है।
- इसमें से 39,989 कोर (22%) राज्य अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से जुटाएगा, और 1,43,935 कोर (78%) अनुदान केंद्र से (राजस्व प्राप्तियों का 28%) अनुदान और केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी (राजस्व प्राप्तियों का 50%) के रूप में प्राप्त होगा।

हस्तांतरण:

- 2020-21 में, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से प्राप्तियों में 2019-20 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 43.8% की वृद्धि का अनुमान है।
- हालांकि, 2019-20 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से प्राप्तियों के अनुमान बजट चरण की तुलना में 28.9% तक कम हो सकते हैं।

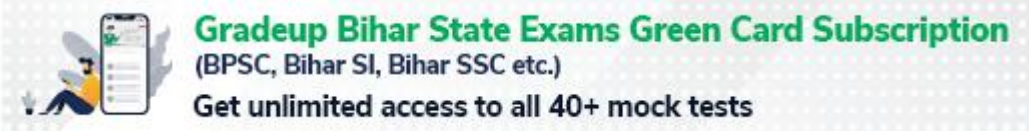

कारण

- यह राज्यों के विचलन के लिए केंद्रीय बजट में 19% की कटौती के कारण हो सकता है, बजट चरण में 8,09,133 करोड़ रुपये से संशोधित चरण में 6,56,046 करोड़ रुपये हो सकता है।
- केंद्र के कर राजस्व में बिहार की हिस्सेदारी 2015-20 के दौरान 4.06% से बढ़कर 2020-21 के लिए 4.13% हो जाएगी (15% वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2% की वृद्धि)।

कर राजस्व:

- बिहार का कुल कर राजस्व 2020-21 में 34,750 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 1.9% अधिक है।
- जीएसडीपी अनुपात का अपना कर 2020-21 में 5.1% पर लक्षित है, जो 2019-20 (5.5%) के संशोधित अनुमानों से कम है।
- इसका तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था के विकास की तुलना में कर संग्रह की वृद्धि धीमी होने का अनुमान है।

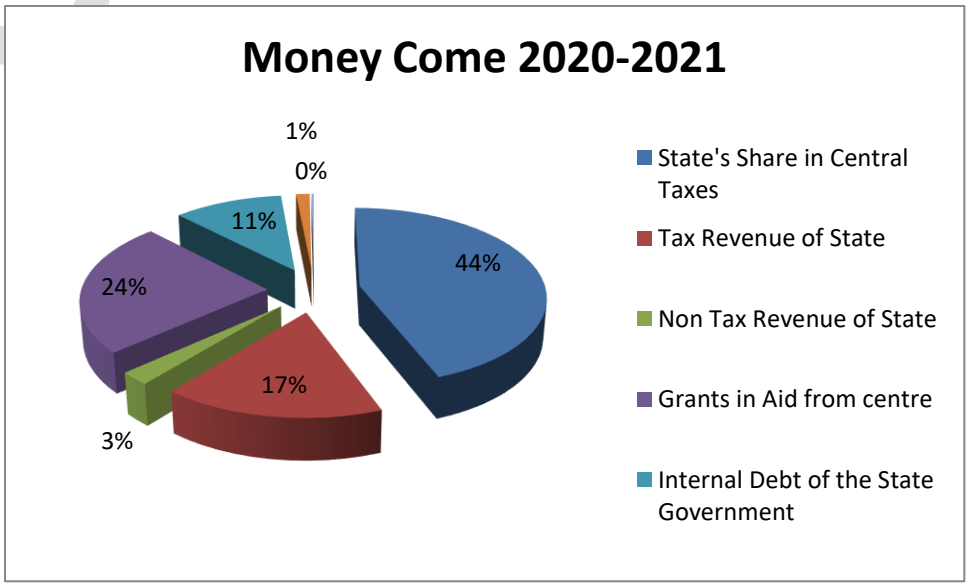

Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)
Get unlimited access to all 40+ mock tests

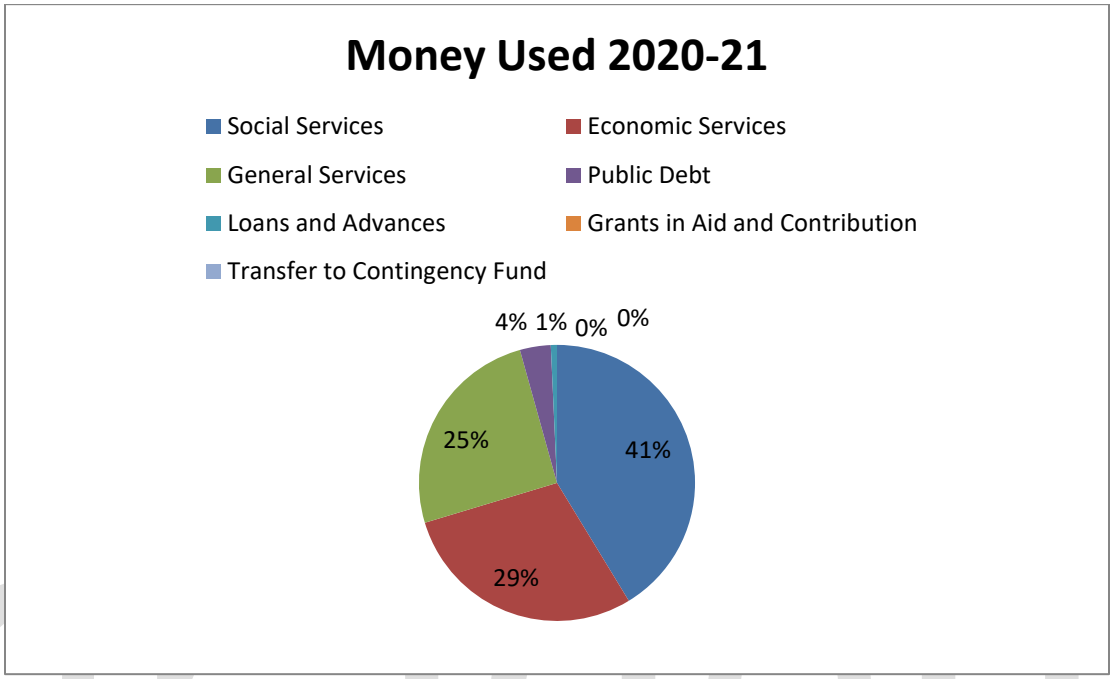

gradeup

Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)
Get unlimited access to all 40+ mock tests

gradeup

To help students in their exam preparation Gradeup brings to you:

- Exam Specific Notes (Hindi & Eng)
- Daily Quizzes (Hindi & Eng)
- Monthly Current Affairs Digest (Hindi & Eng)
- Free Live Classes for Various Exams (Hindi & Eng) and many more.